

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

पत्रांक-निवि0-2/03/1764

दिनांक 10-12-2020

कार्यालय आदेश

मुख्यालय के पत्रांक 51-स्टाफ हकदारी (नियम)/ए0आर0/17-2011 दिनांक 21-02-2020 द्वारा प्रेषित भारत सरकार के पेंशन एवं पेंशनर कल्याण विभाग नई दिल्ली के कार्यालय जाप संख्या 57/04/2019-P&PW(B) दिनांक 17 फरवरी 2020 तथा दिनांक 26-06-2020, जिसमें केन्द्र सरकार के ऐसे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति की सम्पूर्ण प्रक्रिया दिनांक 01-01-2004 से पहले पूरी हो चुकी है और भर्ती के लिये सफल घोषित किये गये हैं लेकिन सरकारी सेवा में दिनांक 01-01-2004 या उसके बाद नियुक्त हुये एवं राष्ट्रीय पेंशन योजना के स्थान पर केन्द्रीय सिविल सेवार्य (पेंशन) नियम 1972 के तहत आने के लिये विकल्प दिया है। निम्नलिखित अधिकारियों के पूर्व विभाग से प्राप्त सहमति पत्र प्राप्त होने के उपरान्त नियुक्ति प्राधिकारी ने केन्द्रीय सिविल सेवार्य (पेंशन) नियम 1972 में सम्मिलित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है।

क्र. सं.	नाम	पद नाम	व्य.सं.	इस कार्यालय में नियुक्ति की तिथि
1	मनीष प्रताप मल्ल	खण्डीय लेखाकार	1439	07-12-2015
2	निशान्त कुमार	खण्डीय लेखाधिकारी-2	1363	10-12-2012
3	राहुल सिंह	खण्डीय लेखाधिकारी-2	1397	01-01-2013
4	ओम प्रकाश दुबे	खण्डीय लेखाधिकारी-2	1352	02-04-2012
5	शंकर सिंह बोरा	खण्डीय लेखाकार	1591	03-05-2016
6	संजय कुमार	खण्डीय लेखाधिकारी-2	1385	14-12-2012



उपमहालेखाकार/डी0ए0सी0सी0

पत्रांक-निवि0-2/03/1765-1770

दिनांक 10-12-2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1 समस्त सम्बन्धित अधिशासी अभियंताओं को इस कार्यालय की वेबसाइट agup.nic.in. के माध्यम से। संबन्धित NPS खाते 01-12-2020 से बंद कर दिये जायें।
- 2 समस्त सम्बन्धित खण्डीय लेखाधिकारियों को इस कार्यालय की वेबसाइट agup.nic.in.के माध्यम से इस आशय से प्रेषित कि वे जी0पी0एफ0 खाता संख्या आवंटन के संबंध में आवेदन पत्र शीघ्र इस अनुभाग में प्रेषित करें।
- 3 वरिष्ठ लेखाधिकारी/डी0बी0ए0(फंड सेल), कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 4 वरिष्ठ लेखाधिकारी/निधि-2, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 5 वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि0वि0-1, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
6. वेतन एवं लेखाधिकारी, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।


10.12.2020
वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि0वि0-2